

is no statement of the Prime Minister. Therefore, there being no finding by the Prime Minister, the statement made by Shri S. M. Banerjee should go to the Privileges Committee as a fresh issue, and not as an issue that was already disposed of by the Prime Minister.

Mr. Speaker: On that day when the discussion was going on, during the course of it, he made some remarks.

Shri Nath Pai (Rajapur): Sir, now that there is opposition to the motion, your duty is very simple—put it to the vote.

Mr. Speaker: I must give my view. Of course, ultimately, I am in the hands of the House.

श्री जय लिये: आप सदन पर छोड़ दीजिए, आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं, जैसे उस दिन नहीं लिया था जैसे ही इस वक्त भी काजिये। हालांकि उस समय लेना चाहिये था, लेकिन फिर भी अपने अपने ऊपर नहीं लिया, जब कि 1954 का कमेटी की राय बिलकुल साफ थी—

"The presiding authority shall refer the matter to the Chairman of the other House."

तब भी आपने नहीं किया। अब इस को सदन पर छोड़ दीजिए।

Mr. Speaker: It is not a question of putting it before the House. I will give my decision on Monday. I do not want to offend any side but take a correct view. Now, we will take up the Half-an-Hour Discussion.

12.03 hrs.

REPATRIATION OF DR. DHARMA TEJA*

श्री राज बनीर जोहिया (कन्नौज): अध्यक्ष महोदय, मैं बोड़ से संकट की हावत में हूँ, जो बसर हो जाया करती है, क्योंकि

भारत में स्वतंत्र पार्टी का मध्य होता, तब मेरा रास्ता साफ था और मेरे हाथ में कुछ कागज हैं, जिन से मैं तेजा साहब की तरफ़दारी कर सकता था। उनसे मुझे पांच-चार पक्ष मिल चुके हैं—जयन्ती तेजा से। अगर मैं भारतीय कम्युनिस्ट होता, तो भी मेरा रास्ता साफ़ था, क्योंकि वे कागज हैं भारत सरकार की कार्यवाहियों के, जिनसे मैं बिलकुल साफ़ तरीके पर तेजा साहब पर चढ़ बैठता। मेरा रास्ता तो सच्चाई का है, इसलिये छुरी की धार की तरह है और मैं कोशिश करूँगा कि इस मामले को जितने भी सच्चे ढंग से रख सकूँ, रखूँ।

जो जयन्ती तेजा साहब हैं, उनके खत मिले हैं, उनमें से एक उनको बीबी श्रीमती रंजीत तेजा का है। मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि एक जमाना था, जब इस देश का हर दरवाज़ा—मैं गलती कर गया—हर घसीर दरवाज़ा उनके लिये खुला रहता था, हर मर्द और औरत बड़े चाव के साथ उनका स्वागत करता था, वह रंजीत तेजा ने मुझको खत में लिखा है—यह लिखा है जून 14, 1967 को। खत तो काफ़ी भेज चुके हैं, मैं समझता हूँ शायद उन तक यह बात पहुँच चुकी है कि कम से कम इस मुल्क में एक आदमी है जो कभी एक चोड़ जो इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिये नहीं करेगा। उन्होंने लिखा है कि—उनके पनि ने पहले मुझ को खबर दी थी, लेकिन मैंने उन को यह जवाब दिया था कि जब तक मुझ को बात नहीं बतायोगें गवाही की, तब तक नहीं मानूँगा, पता नहीं क्या लिखते हो, क्या नहीं लिखते हो।

"Let me confirm the meeting between Mr. T. N. Kaul and me in London".

*Half-an-hour Discussion.

18.45 hrs

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

अध्यक्ष बहुोदय, आप चले जा रहे हो, यह मामला बहुत जबरदस्त था, आप ही का था।

"Let me confirm the meeting between Mr. T. N. Kaul and me."

"जी" मावने रंजित तेजा जयन्ती, दस्तखत किये है, "रंजित तेजा"

"in London in early September 1966 during which he advised us to stay out of India until after the elections."

मतलब यह कि चुनाव के दिनों में यहाँ मत रहना। इस मामले में इस सदन में बहुत बहस हो चुकी है। यह जयन्ती तेजा माहव इस देश में इनने घबराने क्यों रहे हैं। मैं अपने खान में यह भी निश्चिन्त दिया था कि आप लोगों की बात का कोई कैम मान लेगा। उनका वाक्य है :—

"I do not see any earthly reason why you would deny seeing me since there was a witness to the meeting."

यानी एक और साहब वहाँ पर थे, कई टेलीफोन वगैरह से भी बताया गया। यहाँ उन्होंने बिटनेस का नाम नहीं बताया, लेकिन जब अदालत में मामला जायगा, तब आजायगा। उन्होंने कहा है कि कई टेलीफोन के जरिये हम से कहा गया कि जब तक हिन्दुस्तान में चुनाव चलते रहें, तब तक तुम लोग हिन्दुस्तान मत आओ।

अब मालूम होता है कि श्री मधु सिमये ने जो सवाल उठाया था—एन्कोर्समेंट डिपार्टमेंट वाला—कि एन्कोर्समेंट डिपार्टमेंट ने 11-12 मई को यानी पिछले साल चाहा था कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाय, लेकिन वह गिरफ्तारी नहीं की गई,

क्योंकि एन्कोर्समेंट डिपार्टमेंट विल मंजाल का होता है और उधर गृह मंत्रालय का अपना सी० बी० घाई है, दोनों की राय में तफर्क हो गया और तब एक बैठक हुई थी, जिसमें कि गृह मंत्री साहब खुद थे जिसमें और भी बड़े मंत्रियों की राय ली गई होगी, उस बैठक में यह तय हुआ कि अभी श्री तेजा को गिरफ्तार न किया जाय और तब बाबजूद इसके कि श्री तेजा के खिलाफ मार्च से वारन्ट निकला हुआ था, मार्च, 1966 से, यानी आज से सवा वर्ष पहले से, श्री तेजा को गिरफ्तार नहीं किया गया। गृह मंत्री, उनसे भी बड़े मंत्री और सी० बी० घाई०, सी० घाई० बी० वगैरह बजाय इसके कि एन्कोर्समेंट डिपार्टमेंट को कहते कि उनको गिरफ्तार करो, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया।

श्री बी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : वह तो जादूगर मालूम होता है।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह जादूगर मालूम होता है या मरकार मालूम होती है ? सरकार जादूगर है और इस हद तक आप कह सकते हो कि मैं भी एक जरीफ आदमी हूँ। दो जादूगर जब आपस में लड़ जाते हैं और एक दूसरे की कलाई खुलने लगती है तो जायब दोनों मेरे पास आते हैं। एक तो आ ही गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मामला जरा रंग पकड़ रहा है। मुझे अब तक समझ में नहीं आता—आखिर को यह जयन्ती तेजा साहब, जिनके बारे में खुद इस सरकार के मंत्रियों ने जो बातें कही हैं, उनकी मैं खाली दो-तीन बातें बताये देता हूँ, जिन्होंने ऐसे काम किये हैं, उनके कहने के मुताबिक कोरन गिरफ्तार होना चाहिये था कोरन यहाँ बुला लेना, चाहिये था, कोरन मुकदमा चलाया जाना चाहिये था। क्योंकि श्री संजिव रेड्डी साहब, जो अब अध्यक्ष हैं, पहले ये जहाजरानी के मंत्री थे और इन्होंने अगस्त 25, 1966 को लोक सभा में भी वाक्य कहा है, मैं खाली कुछ ही वाक्य बड़े देता हूँ—मुश्किल यह है कि बसेली में खिले

हैं, सभी हिन्दुस्तानी संघेडी में बोलते हैं, अगर गलती हो जाय पढ़ने में, और—

"He forged a Resolution of the Company.....

इसी माने तेजा ।

"He forged a Resolution of the Company, gave it to the Company in America and took Rs. 80 lakhs on the basis of a Resolution of the Company to the effect that the money must be handed over to Dr. Teja. not to the Chairman of the Company, not to the Company, but to Dr. Teja. In his personal name, he took the money and put it in the State Bank of India in London. Rs. 20 lakhs withdrawn and Rs. 70 lakhs are still there."

एक ती यह बिलकुल साफ चीज है जिसकी कि भ्रमान्त में खयानत, चोरी, लूट, बदमाशी और उसके लिये कई दफाएं भी हैं अपने कौनदारी हिन्द में और नाजीरात में एक यह अपराध है फिर दूसरा अपराध है ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is regarding his repatriation. Your time is limited.

डा० राम मनोहर लोहिया : अब यह रिपैट्रियेशन इतना साफ है । मतलब यह है कि मैं एक खाली मंत्री की जबानी आप को बतला रहा हूँ कि मामला इतना साफ है कमिशन की चोरी है जहाज खरीदने की चोरी है, बाहर से नकली डंग से जानी दस्तकृत करने का है । यहां अपनी जो दफाएं हैं और उसके अनुसार अमेरिका में भी दफाएं होंगी क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार खाली यह जानना है कि यह अपराध क्या संसार में जार्जनिज अपराध है या नहीं । यह अपराध कोई जगह है लेकिन हमारे यहां जो अपराध है तो आप समझिये यहां दफा 465, दफा 466 और फिर दफा 405 और 406 और कम्पनी ऐक्ट की दफा 292, 397 और

398 है । यह तो श्री संजीव रेड्डी का कागज है जब यह जहाजरानी मंत्री थे फिर भी वह सारा मामला क्यों नहीं हो पा रहा है वह दो बार यहां भाये भाव के बाद दोनों बार उनकी बड़ी भासानी से यहां से जाने दिया । फिर वह यहां पर घाना चाहते थे अक्टूबर महीने में । सरकार की तरफ से उनसे कहा गया नहीं तुम चुनाव के दिनों में यहां मज घाना हिन्दुस्तान के बाहर रहो तो कहीं कोई बहुत बड़ा रहस्य का मामला होता है । अगर जी चिट्ठी मेरे पास आई, वह सच है, तब इसमें कोई शक नहीं । मैं हरगिज अभी तक अपना दिमाग यह तो नहीं बनाये हुए हूँ कि तेजा साहब पब्लिश हैं । मेरा दिमाग अभी तक सिर्फ इतना बना है कि तेजा साहब ने रुपया मारा है, इस में कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साक्षीदार सरकार के लोग रहे हैं । इनविडियुस से इतना साफ होता है और वे लोग देर कर रहे हैं उनको बुलाने में । उनके एक्स्पर्टीशन, प्रत्यावर्तन, में उनकी गिरफ्तारी में देर नहीं । उनकी गिरफ्तार बिल्कुल किया ही नहीं । उसका कारण यही है । अब मैं रंजीत तेजा के बहुत से वाक्य पढ़ नहीं रहा हूँ । अगर पढ़ूंगा तो लोग बहुत ज्यादा घबरा जायेंगे, इसलिए खाली जो मुख्य वाक्य है, वह मैं आप को पढ़ कर सुनावे देता हूँ ।

वह अपनी तारीफ में प्रचार करेंगे ही । मैं अब नाम बगैरह छोड़ देता हूँ । उन्होंने अबल में नाम लिखा है, एक साहब है

लेकिन चिट्ठी में यह भी है कि मेरे से यह जुन होता जा रहा है

श्री जति भूषण राजपेयी (खारगोल) : यह चिट्ठी जाली है । इसके सही होने का सुबूत दें, वरना कोई इस तरीके का मूठ सुबूत नहीं दे सकते ।

श्री मधु लिम्बे (मुंबई) : वह उसे
बैरस पर रखने के लिये तैयार है।

श्री शक्ति भूषण बाबूपेयी : मैं साबित
करूंगा कि यह बिट्ठी जाली है।

श्री मधु लिम्बे : वह आरोप कर रहे हैं
कि यह जाली है जब उनके महज कह देने
से यह कैसे जाली हो सकती है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : यह बहुत
बंदी पीड़ है . . . (अवधान)

The Minister of Law (Shri Govinda
Menon) : The question here is regarding
repatriation. . . .

Shri V. Krishnamoorthi (Cuddalore) :
On a point of order . . . (Interrup-
tions).

Mr. Deputy-Speaker: What we are
discussing is the question whether
Government have failed in carrying
on proceedings regarding repatriation
of Dr. Teja. That is the only thing
before us, and to that extent, I would
permit the hon. Member. Beyond
that, if the discussion is extended, and
if the hon. Member goes beyond the
scope of that, I would not permit it.

श्री मधु लिम्बे : नहीं इस पर मेरा
ब्यवस्था का प्रश्न है।

Mr. Deputy-Speaker: Please conclude
now.

डा० राम मनोहर लोहिया : वही तो कर
रहा है लेकिन यह इस तरह से बार-बार जो
कहा जा रहा है कि यह बिट्ठी जाली है और
टोका जा रहा है तो मैं क्या करूँ ? लेकिन
मैं पूछना चाहूँगा कि क्या अभी तक कोई
बीका आया है जब कभी किसी हिन्दुस्तानी
या परदेसी से साबित किया है कि मैंने कोई
कृत या कोई पीड़ इस्तेमाल की है जो जाली
है। तैकड़ों बार ऐसे बीके आये हैं। . . .

श्री रघुवीर सिंह (रोहताक) : आप को
यह जाली भय ही होती आप ने यह जाली
नहीं कहा है।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह क्या
बाह्यात बातें हैं ?

श्री मधु लिम्बे : अध्यक्ष महोदय, वह
उसे जाली कह रहे हैं वह आरोप कर रहे हैं
इसलिये इस पक्ष को सदन की टेबुल पर रखने
दिया जाय . . .

Shri Govinda Menon: On a point of
order. The letter which Dr. Ram
Manohar Lohia refers to is a letter
allegedly written by persons who are
being prosecuted. . . .

एक माननीय सदस्य : पार्टनरशिप हो
गयी आप की।

श्री मधु लिम्बे : बिलकुल नहीं . . .

Shri Govinda Menon: How is that
relevant in this discussion?

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझे बोलने
की दिया जाय। वही मैं बतलाने जा रहा
हूँ . . .

Shri Govinda Menon: You know that
under the relevant rule there shall be
no formal motion before the House nor
voting. The Member who has given
notice may make a short statement
and the Minister concerned shall reply
shortly. Therefore, all that I thought
would come up would be the question
regarding extradition. The word 're-
patriation' has been used here instead
of that.

The only question is whether re-
garding extradition or repatriation,
vigorous steps are being taken by the
Ministry of the Government concern-
ed. I should submit with due defer-
ence to Dr. Ram Manohar Lohia that
he is travelling far far far off from
the matter which is under discus-
sion. . . .

श्री मधु लिम्बे : बिलकुल नहीं।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं उठी पर
बोल रहा हूँ . . .

Mr. Deputy-Speaker: At this rate, the hon. Minister will get no time to reply.

श्री मधु लिये : ऐसा न करियेगा । हमें भी सवाल पूछने का अधिकार है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ ।

Mr. Deputy-Speaker: I have already pointed out that the scope of discussion under this rule is very limited. The hon. Member has strayed for so long and covered a very wide ground.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं बिलकुल बही बोल रहा हूँ जो मुझे बोलना चाहिये । मैं जैसा आप समझते हैं भटक नहीं रहा हूँ ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should try to conclude now. Otherwise, after half an hour, I shall adjourn the House, and the hon. Member will not get any reply from the hon. Minister.

श्री मधु लिये : ऐसा आप नहीं कर सकते । जब मन में आये इस तरह से रेवरेण्टली आप हाँ । की गेंडजार्न नहीं कर सकते ।

Shri Govinda Menon: The hon. Minister is not allowed to reply.

Mr. Deputy-Speaker: Otherwise the hon. Minister would have the right to say that his time is up.

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय मैं बिलकुल सबजैक्ट पर रहा हूँ । लेकिन यह जानना चाहता हूँ कि यह मामला अब तक क्यों चलता रहा ? क्यों गिरफ्तारियाँ नहीं हुई और जब यह यहां पर आये थे तो उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया और क्यों अब तक मामला चल रहा है ? मुझे तक है कि यह सरकार अमरीका में भी उस मामले को ठीक तरीके से नहीं चलायेगी । उस को डर लग गया । मुझे

यह भी तक है कि यह बात जो मेरे साथ लिखा जा रहा है उस का एक मकसद यह भी हो सकता है कि यह लोग डर जायें देखो मुझ्दारा सारा मामला मैं अब खोल कर रखने वाला हूँ इसलिये यह भी हो सकता है । कई मतलब हो सकते हैं यह सब उस मामले में आ सकते हैं (अवधान) इस तरह से मुझे क्यों टोका जा रहा है अब देखिये उपाध्यक्ष महोदय यह लोग किस तरह से शोर कर रहे हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member has already taken more than 15 minutes.

Shri Govinda Menon: He has taken more than 20 minutes.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह मेरा कसूर नहीं है आप इस झुंड को रोकिये जो इस तरह से बार बार टोकाटाकी कर रहा है । मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये ।

Shri Govinda Menon: He should not take this opportunity to turn this discussion towards other things.

डा० राम मनोहर लोहिया : अब इसका क्या मतलब है कि इस तरह से मुझे कानून मंत्री भी बोलने से रोक रहे हैं ?

Mr. Deputy-Speaker: The scope of the discussion is very limited. If the hon. Member does not conclude now, then the other Members would not get any opportunity to put questions.

Shri Govinda Menon: The reference to these things should be expunged.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member should conclude now.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं कह रहा था . . .

Shri Govinda Menon: I am requesting you to stop this, because he is indulging in irrelevant things. Therefore, I am making the request.

Shri Madhu Limaye: The half-an-hour discussion is a discussion arising out of the answers to questions.....

उसमें एक सवाल यह पूछा गया था कि अजन्ती धर्मतेना को हिन्दुस्तान से जाने देने में कुछ लोगों की सहायता रही....

Shri Govinda Menon: All kinds of things are being indulged in.

श्री मधु लिमये : नाथ पाई ने कहा था और मैं बहुत धर्म से घरोप लगा रहा हूँ। जो पूरा मबाल अज्ञान होता है तो उसी में से धाध पंटे की बहस उत्पन्न होती है।

Shri Govinda Menon: This is a matter to which we would like to give a reply.

Mr. Deputy-Speaker: Even without the Law Minister's raising a point of order, I reminded him about the scope of this discussion.

डा० राज मनोहर लोहिया : व्यवस्था का प्रश्न उठा कर मेरा समय खराब किया जा रहा है। आप चाहते क्या हैं ?

Shri Govinda Menon: There should be some rules of debate.

Shri Randhir Singh: Our names are there with you. Let us be given a chance.

डा० राज मनोहर लोहिया : मैं खन्ध कर रहा हूँ लेकिन इसके यह माने नहीं कि इस तरह के प्रक्रिया के मामले को आप जा सकते हैं। मैं एक चीज पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन अब तो मैं पढ़ कर खूना। यह नहीं हो सकता कि मैं न पढ़ूँ।

श्री जार्ज कार्नेडीन (बम्बई दलित) : इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री जसि भूबन बाजपेयी : एक संक्षिप्त व्यक्ति जो कि भारत सरकार से बान्टेड है। (व्यवधान)। क्या मुलजिमों की चिट्ठियां यहां पढ़ी जायेंगी ?

Shri Govinda Menon: The hon. Member is travelling far beyond the subject under discussion.

श्री जसि भूबन बाजपेयी : जो भारतीय भारत सरकार से बान्टेड है उस की चिट्ठियां पढ़ी जा रही हैं। यह खत नकली है। ***

Mr. Deputy-Speaker: This will not be recorded.

श्री मधु लिमये : तो क्या हुआ ? यह कैसे कहा जा सकता है कि वह जानी खत है यह कहा जा सकता है कि हमने जो लिखा है वह गलत है।

Several hon. Members rose—

Mr. Deputy-Speaker: Please resume your seat. I did not permit Shri Madhu Limaye to make any observations. Dr. Lohia is arguing his point. The time is very limited.

श्री मधु लिमये : किम ने समय लिया ? उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

Mr. Deputy-Speaker: Before that, I pointed out....

श्री मधु लिमये : आप ने गलत कहा है। मैं बतला रहा हूँ कि क्या स्कोप है।

Mr. Deputy-Speaker: I reminded him about the scope of this discussion.

श्री मधु लिमये : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं बतला रहा हूँ कि स्कोप क्या है : arising out of answers given.

***Not recorded.

इसमें स्टेटमेंट भी जा जाता है।

Mr. Deputy-Speaker: No, no.

श्री मधु लिमये : नो नो क्या?
उन सदन में कोई नियम है यही?

Mr. Deputy-Speaker: If you are going to question my procedure and decision, I will not allow you to speak a word.

Shri Govinda Menon: On a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Please sit down.

श्री मधु लिमये : क्या डिस्सीजन दिया
आप ने उनका व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया।
मेरा क्यों नहीं सुना?

Mr. Deputy-Speaker: I am not going to listen to you. Already you have said what you have got to say.

श्री मधु लिमये : क्यों नहीं?

Mr. Deputy-Speaker: I have got the rule before me. Every time this is my observation—and the observation of the House—that in the name of a rule or some procedure, you quote extraneous things.

श्री मधु लिमये : मैं ने नहीं कहा है।

Mr. Deputy-Speaker: I am not going to permit it.

श्री मधु लिमये : बिल्कुल नहीं। इस तरह से कभी नहीं होता है। आप बिल्कुल नियम के बाहर जा रहे हैं।

Shri Govinda Menon: On a point of order.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह कानून गंभीर है या क्या है?

श्री मधु लिमये : हम को भी अधिकार है।

Dr. Ram Manohar Lohia: "He certainly was one person who knew...."

Shri Govinda Menon: On a point of order. He is reading a letter from the accused....

Dr. Ram Manohar Lohia: "He certainly was one person who knew ..."

Shri Govinda Menon: That must be expunged.

श्री मधु लिमये : यह कभी नहीं हो है।

Shri Govinda Menon: I am raising a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Please sit down.

श्री शशि भूषण आनन्देय : मैं एक बात जानना चाहता हूँ। क्या इस हाउस में किसी एक्ज्यूटिव की चिट्ठी पढ़ी जा सकती है? मैं आप की सलाह चाहता हूँ। जो बान्टेड है हमारी सरकार में....

Shri Govinda Menon: The Government of India are prosecuting Dharma Teja. We are making attempts to extradite him. Here, Dr. Lohia, without knowing it, has become an agent of Dharma Teja and is utilising this platform, this august assembly, to read out a letter, and making a defence for him.

Shri Pilloo Mody (Godhra): The Minister should know that he cannot stand when the Deputy-Speaker is on his legs.

Mr. Deputy-Speaker: A relevant point has been made. He is one of the accused or co-conspirator, whatever you call it. Now the hon. Member is relying on one of the accused in this case. I will not permit him to read that.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप इसर भी देखिये। यह हाजिर नहीं हो सकता।

Shri Randhir Singh: He is a discredited person. He can manufacture documents.

श्री मधु लिमये : क्या तानाशाही अधिकार से रहे हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप उठे मन से सुनिये। मैं आप की बातला रहा हूँ।

Mr. Deputy-Speaker: I will sit for one hour for a quiet discussion, I will give you more time, but please resume your seat. You have raised a half-hour discussion on a question and you wanted to know what steps Government has taken for extradition of this gentleman who is supposed to be an accused.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप मेहरबानी करके मेरी राय सुनिये। अगर कोई आदमी दीपी है तो भी उसकी बात सुननी पड़ती है। हर आदमी की बात सुननी पड़ती है।

Mr. Deputy-Speaker: Then, if you come forward with a document from a co-accused, is it permissible? He has said he is a co-accused.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह आप कह रहे हैं कि वह दीपी है। (व्यवधान)

Mr. Deputy-Speaker: It cannot be cited on the floor of the House, because it has no evidential value, because he is an interested party. Please realise that.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं इस से नतीजें निकाल रहा हूँ।

Mr. Deputy-Speaker: This letter which is supposed to be in his possession is written by one who is a co-accused. Is it true? Then, nothing will go on record so far as this letter is concerned.*

डा० राम मनोहर लोहिया : यह कैसे हो सकता है?

Mr. Deputy-Speaker: I want a clarification from the Law Minister.

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरी बात सुन लीजिये।

Mr. Deputy-Speaker: Is the whole thing sub-judice?

Shri Govinda Menon: Yes.

Mr. Deputy-Speaker: The whole matter is sub-judice.

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या कर रहे हो?

श्री मधु लिमये : किस नियम के अन्तर यह कर रहे हैं? यह तानाशाही इस सदन में चल रही है। आप को कोई अधिकार नहीं है।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या मजाक कर रहे हैं?

श्री मधु लिमये : कौन सा नियम है कि यह नहीं जायेगा रेकार्ड में।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष को कुर्सी पर बैठ कर ऐसा काम कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : आप नियम के अनुसार काम कीजिये।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : यहां पर मुलजिम की बिट्टी लाई जाती है। अगर कोई ऐक्यूज्ड है तो उस को सजा होनी चाहिये, यह सारा हाउस डिमांड करता है। लेकिन उसकी बिट्टियां नहीं पड़ी जा सकती। (व्यवधान) जाली बिट्टी है। (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : आप साबित कीजिये कि जाली है।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : मैं कहने के लिये तैयार हूँ, अध्यक्ष महोदय। आप...

*Please see Cols. 7388 and 7394.

(व्यवधान) मैं साबित करने के लिये तैयार हूँ (व्यवधान)

डा० राम मनोहर लोहिया : यह मेरा इतना समय निकल गया ।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : यह बहुत बड़ा प्रयास है । यह निकासा ज.न.ना चाहिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : कीट चीज नहीं निकाली जा सकती रिफाईंग ।

श्री मधु लिमये : हर दफे आप रिफाईंग से निकालने की बात कहते हैं ।

श्री शशि भूषण बाजपेयी : यह तेजा साहब के एजेंट हैं । (व्यवधान) देश का दुश्मन है तेजा । उस की चिट्ठी नहीं पढ़ी जा सकती है । यह बहुत गलत चीज है ।

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, जब वह बोलने है तब आप उनको बोलने देते हैं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

Mr. Deputy-Speaker: I want a clarification. I would like to know how it is sub judice, (Interruptions). I will hear you, but let me get a clarification.

श्री मधु लिमये : इससे क्या फर्क पड़ता है पर पढ़ने में कि वह को-एक्यूज्ड है ?

श्री शशि भूषण बाजपेयी : मैं आपके खिलाफ कल दस चिट्ठियाँ पढ़ूंगा ।

लिमये : पढ़िये न

उपाध्यक्ष महोदय : घाबरें, घाबरें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप उनकी सुनें, हमारी नहीं सुनें । मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ । बिना
823 (A) LSD-13.

इकाबत के जैसे उनकी सुना, बिना रोक टोक मेरी सुनें । मैं भी सुनूँगा । आप उन को भी रोकें और खुद भी सुनें ।

Shri Govinda Memon: Extradition means this. There are charges and cases in India. Because the accused is not available in India, he should be brought from the United States of America. The question is: Why is he not being brought quickly? Now, Sir Dr. Teja and his friends and his wife are trying to build up defence against the case and Dr. Lohia. I do not say deliberately or consciously constitutes himself an agent in order to see that that defence is built.... (Interruptions).

This august forum is being utilised by Shri Madhu Limaya and his leader Dr. Lohia or Dr. Lohia and his leader Shri Madhu Limaya; this august forum is being utilised to propagate that defence. That is something which you in the Chair should not allow. These letters, if true, are letters intended to go on record so that when they come here the cases can be defended on the basis of all these allegations.

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): I should like to add to what the Law Minister has stated. The position is that a New Delhi Magistrate has found Dr. Teja and Mrs. Teja as prima facie liable or guilty. I do not know the legal parlance and so do not catch me on that of criminal offences. He said that they should be brought back to face trial. The judgment of the New Delhi Magistrate had been authenticated by the Embassy here and it had been flown to the United States. We have filed extradition proceedings. Dr. Teja and Mrs. Teja were arrested and released on bail. Further hearing is coming on the 28th June. I do not want to go into all the various things which had been mentioned in this House. I am very anxious, as I have no doubt my friends on the opposite side are

(Dr. V. K. R. V. Rao)

equally anxious, we want to see that we bring back Dr. Teja and Mrs Teja as both are accused in this matter. (Interruptions.) Why do you not listen to me? I am speaking for the first time. So, we have been taking steps to bring them back. 28th June is the next hearing date. My great fear is this. I would not for one moment dream of disputing the authenticity of the letter Dr. Lohia is reading before the House. I would not make that charge. I am certain Dr. Lohia would not have read that letter unless he is sure of its authenticity. Obviously, it must have been written to him and must have come to him by post.

But what I would like to say is this. There may be our own quarrels; that is a different matter. But on one thing we are all agreed; that these two people, Dr. Teja and Mrs Teja have committed all sorts of frauds according to the *prima facie* findings of the New Delhi Magistrate. Civil suits are pending against them. Criminal cases should be taken to their logical conclusion. We cannot do this till we bring them to this country. Without going into the correctness or wrongness of what Dr. Lohia is reading, I would most respectfully suggest to him that this kind of a debate in this House will be used on the 28th of June. Allegations will be made. There is going to be very strong defence. There is every chance that anything we say in this House, because of our internal differences which are perfectly legitimate and about which we can argue, and all that Dr. Lohia has read, these allegations and further remarks that come out on account of the heated exchange of words—all these things, I am terribly afraid, may be referred in the extradition proceedings on the 28th June. After all we have no control over the courts of the United States. The legal position is, the New York Court must be satisfied, that so—and so, so—and so is *prima facie* guilty of the charges on which the New Delhi Magistrate says they are

guilty. We must also remember this. Incidentally, when Dr. Lohia was reading that letter, that came out a little bit. If I may anticipate the line of defence that is going to be taken—I may be wrong, and this is my guess—it is going to be this: Here is a great private sector enterprise; somebody who was trying to build up something in the private sector, and all sorts of attempts are being made to stop that. And the sentiment in the United States—the kind of feeling that they have in favour of private enterprise are going to be whipped up, and all these things would be brought in, and things will be confused. I can say with all honesty that I am absolutely anxious, we are anxious, to bring this gentleman and his wife back here, because they had committed certain offences against the laws of this country. We want to try them in accordance with the law. We do not want to convict them in their absence. And anything that we say in this House might militate against that common objective. Therefore, without going into the points of order and so on, on which I know nothing at all—I am a complete newcomer to this House—I would request Dr. Lohia, let him kindly not bring in that letter and things of that kind, because it is written by a person who is one of the accused, a person whom we are trying to bring back, and who is making allegations. I am not prepared to talk about them just now. When the time comes, we can discuss it, but just now the extradition proceedings are pending. I do not know if it is *sub judice* and all that. I do not know about the law; my hon. friend the Law Minister knows better.

I would only say that from the common-sense point of view, from the point of view of carrying out the objective that we have, namely, to bring these people back here, those letters should not be referred to here. Afterwards, it is a different matter. I will tell you, that when they come back, it will not be a question of writing letters; they can say all these

things and more. As far as we are concerned we are anxious that they should come back, and say everything they have got to say. Then they can be cross-examined, and truth will emerge. We are not afraid.

So, my request would be this: Without going into the formalities, I would say this. I am sure not only Dr. Lohia but other hon. Members also must have received letters; letters might have been received by other Members of the Opposition also. He has also written to us, (Interruption) saying that he would like to return voluntarily and participate in the civil proceedings. I beg to submit, if I may say so, all this is part of the game which is intended to delay the proceedings and eventually it may even result in defeating the objective.

Therefore, I would earnestly request Dr. Lohia not to mention, not to make reference to the document but to confine his argument to anything else other than using the material given to given to him by one of the accused.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): A point of order. When the case is sub judice, why was it brought on the floor of the House?

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Please resume your seat. I want one clarification from you. If a man is supposed to be the accused, and a case is registered against him—I am not clear in my mind—and if still the case has not come before the court—

Shri Govinda Menon: It has come. The law is that from the date on which—

Shri Ramdhir Singh: The Delhi High Court's ruling is that when the name of a person appears in the FIR, from that stage, he is an accused.

Shri Govinda Menon: The moment the charge-sheet is filed before the court, the matter becomes sub-judice. There are decisions which go to this

extent: from the day on which the FIR goes to the court, the matter is sub judice.

Shri Ramdhir Singh: When the name is mentioned in the FIR, when the police machinery is moving against him, he becomes the accused.

Mr. Deputy-Speaker: I do not know whether the case has been filed. If it is sub judice, it should not be referred here. There, I am correct.

Shri Govinda Menon: Objection was not raised, because we thought that the question would be regarding repatriation.

Shri D. C. Sharma: Why was not the point about sub judice raised when the debate began? That is my question.

Shri Govinda Menon: It was not raised because I thought the discussion will be on the question of repatriation. On the other hand, the discussion has developed into what those people are building up by way of defence being put in the debate.

Shri D. C. Sharma: The whole of this discussion is ultra vires.

Mr. Deputy-Speaker: If a matter is sub judice, we do not allow that to be referred to in the House.
(जी क्यू विजय: किस नियम के अंतर्गत ?)
You Dr. Lohia, have read a part of the letter. After listening to the minister, I feel that if instead of putting it here if you hand it over to Dr. Rao, it will facilitate the extradition and repatriation of the accused. That is my personal view. I am making this request to you.

डा० राज मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इससे बिल्कुल छट्ठी बात कहती हूँ। सब से पहली बात तो यह है कि यहाँ पर आरोप में आकर लोगों ने यह कहा कि जैसे कोई भी इन लोगों की बात को मान कर इनकी तरह से सरकार के खिलाफ कोई फैसला कर रहा हूँ। सम्भव है सम्भव

[डा० राम मनोहर लोहिया]

हूँ कि ये लोग तो अपराधी हैं, लेकिन इनके अपराध में सरकार के लोगों को भी शिरकत रही है और उस शिरकत को अब छिपाने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक बड़ी गम्भीर हरकत होगी ।

मैं चाहता हूँ कि हम लोग यहां पर जो भी कार्यवाही करें, वह सच्चाई के हक में हो और देश के लिये हितकर हो । एक अपराधी है, उस ने व्यापार में चोरी की, उस ने कई तरह के कानूनों को तोड़ा, लेकिन उसके साथ साथ उसको जो कुछ मुनाफ़ा हुआ, अगर उस ने उस में से कुछ मुनाफ़ा सरकार के कई मंत्रियों को पहुँचाया है और वह बात अगर सामने आती है, तो उस से देश का बड़ा भारी हित होता है । दोनों बातें सामने आनी चाहिएं । यहां यह बात बड़े खोर से कही गई है कि चूंकि सरकार ने 28 जून को पैरवी कर रखी है, इस लिये यहां पर कही गई कुछ बातों का प्रभाव उस पैरवी पर पड़ने की आशंका है । इस का जबाब मैंने पहले ही दे दिया है कि मुझे इस बात का पूरा शक है कि ये लोग किसी संजीदगी और गम्भीरता के साथ तेज़ साहब को मचमुच यहां लाने की कोशिश करेंगे । जिस तरह से अब तक सरकार ने डील दे रखा है—वह यहां आए, उनके खिलाफ़ चार्जट या, उनको गिरफ्तार नहीं किया और दो दफा यहां से चले जाने दिया—जिस तरह से उनको कहा गया कि चुनाव के दिनों में हरगिज मत भाना, उसी तरह 28 जून को भी जब अमरीका में यह मुकदमा जायेगा, तो ये लोग अपनी तरफ से (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय आप इन लोगों को जरा नियंत्रण में रखिए, ताकि ये लोग बेरी पूरी बात को सुनें, जिस तरह मैंने इन लोगों की बात सुनी है ।

Mr. Deputy-Speaker: I do not think you have any intention to assist the accused even indirectly and unwittingly. At the same time, you are indirectly suggesting that Govern-

ment she is trying to shield him. That is not fair.

डा० राम मनोहर लोहिया : क्यों नहीं, चाखिए यह लोक सभा किस लिए बनी है ?

श्री जति भूषण बाजपेयी : लोक सभा इनका प्रच्छाड़ा बन गई है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपने अधिकार की सीमा को समझिए ।

Shri D. C. Sharma: Is it proved that he was here twice after the cases has been registered against him and he was allowed to go away? It is a very serious thing.

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे अधिकार की सीमा है, वैसे ही आपके भी अधिकार की सीमा है और उस सीमा के रहते हुए आप बेरी बात को सुनिये । जब बात तोड़ दी जाती है, (व्यवधान) देखिए, मामला कहां तक

Mr. Deputy-Speaker: Please be brief.

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है ? जब और सबस्य बोलते हैं, तब आप "बि ब्रीफ़" तो नहीं कहते ।

श्री जति भूषण बाजपेयी : पार्लट आफ़ ऑर्डर, सर । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर किसी एक्मूज की पिट्टी को सही मान लिया जायेगा, तो आईन्दा के लिए यह बहुत ख़तरे की बात होगी । हम उस व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं कर सकते । सारा देश उस पर अविश्वास करता है । उस ने देश का धन लूटा है । हमारी पुलिस उसके पीछे पड़ी है और एक एक घाबरी उसको पकड़ना चाहता है । अगर ऐसे व्यक्ति की पिट्टी को सही

माना जावेगा, तो यह प्रत्यक्ष बात होगी ।
मैं इस बारे में आपकी कल्पना चाहता हूँ ।

Mr. Deputy-Speaker: Rule 352 is very clear. It says:

"A member while speaking shall not—(i) refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending."

श्री मधु लिमये : इस पर क्या जूडिशल डिजिजन है ? इस पर कोई जूडिशल डिजिजन नहीं है ।

Mr. Deputy-Speaker: It is called sub-judice. Therefore, this will not go on the records.

डा० राम मनोहर लोहिया : जो बातें मैं कह रहा हूँ, उस पर कोई जूडिशल डिजिजन नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, जैसे आप उनके लिये उधार थे, वैसे ही आप मेरे लिये भी उधार रहिये । (स्वयचान) आप मेरे लिये उधार नहीं हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: This is unfair.

Shri Govinda Menon: This is an insinuation against the Chair which, as a Member of this House, I would object to.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह मामला सरकार के ऊँचे सिविल तक पहुँच जाता है । मैंने अक्सर इस सदन में देखा है कि अगर सरकार के इशारे-उशारे के लोगों पर हमला हो, तो ठीक है, लेकिन जब सर्वोच्च सिविल पर हमला हो जाता है, तो आप लोग इस तरह छटपटाते लग जाते हैं, जैसे मछली नदी के बाहर निकल भी गई हो । इसलिये आप छटपटाइये मत और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिये । (स्वयचान)

श्री जति भूवन बाबुदेवी : जब इन पर हमला होता है, तो इनके काफी छटपटाते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जो मुकदमा 28 जून को हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से यह कोशिश हो सकती है—अविष्य आपको बतायेगा—कि सम्मान बलाए । अमरीका में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के सम्बन्ध में (स्वयचान)

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): This is all speculation that Dr. Lohia is doing of what is going to happen in the future. Is he a prophet?

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात है ? वे लोग बहुत ज्यादा सट्टेबाजी कर रहे थे । मैं तो अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ । उन्होंने यही कहा है न कि यहाँ को बहस के कारण उनको 28 जून को अपना मुकदमा चलाना मुश्किल हो जायेगा ? वे लोग जान-बूझ कर अपना मुकदमा झपट्टी तरह नहीं चलायेंगे, उस को यहाँ नहीं लायेंगे और अगर लायेंगे भी (स्वयचान)

Dr. V. K. R. V. Rao: I challenge that: I repudiate that. Certainly not. Why do you make allegations (Interruptions)?

श्री मधु लिमये : रिपुब्लिक करने से क्या होता है ? (स्वयचान)

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या बाहियात बात कह रहे हो ? शर्म नहीं आती है ? बड़ी लम्बी चौड़ी बातें करते हो (स्वयचान) तुम लोगों को शर्म नहीं आती है ? (स्वयचान) बेशर्म लोग ! जितनी गर्मी मुझ पर दिखा रहे हो (स्वयचान) कल का छीकरा यहाँ पर गर्मी दिखाने आया है । (स्वयचान) कल तक पड़ाया करता था, अभी राजनीति में आया है, आज मुझ पर गर्मी दिखाने आया है । क्या यह कोई तरीका है ? (स्वयचान) जा कर गर्मी और कहीं बिछाना । यह गर्मी की जगह नहीं है । (स्वयचान) तुम्हारे जैसे हजारों (स्वयचान)

भी सति भूषण बाजपेयी : क्या वे जोर करके किसी को बचायेंगे ? ये पचासों बला इस प्रकार का ड्रामा कर चुके हैं । यह ड्रामा अब यहां नहीं चल सकता है । मैं इनसे ज्यादा बोट लेकर यहां आया हूं । ये बोझा देना चाहते हैं । ये डेमोक्रेसी और प्रजातन्त्र की हत्या करना चाहते हैं । (ज्वज्जवाह) ।

Mr. Deputy-Speaker: In view of the tone and temper of the discussion which brings down the dignity of the House, I adjourn the House till 11.00 A.M. on Monday.

18.50 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, June 26, 1967/Asadha 5, 1889 (Saka).